रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-77 REGISTERED No. D. (D.)-77

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 1980/अग्रहायण 13, 1902
No. 382] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 1980/Agrahayana 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1980

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. सं. 679(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 197-सीमा-शुल्क (सा. का. नि. सं. 564 (अ) तारीख 1 अक्तूबर, 1980 में, निम्नलिखित

संशोधन करती है अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 16 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
16	स्विटजरलैंड के फ्रैन्क	21.94

[सं. 238-सीमा-शुल्क/फा. सं. 503/5/80-सीमा-शुल्क-6.]

के. कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 679(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 197. (G.S.R. No. 564 (E) dated the 1st October, 1980, namely :—

In the Schedule below the said notification :—

For serial No. 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
16	Swiss Francs	21.94

[No. 238-Cus./F. No. 503/5/80-Cus. VI]

K. KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980